भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

अभिलेख सं0–टी0 ए0 मिस वाद सं0– 191B/2018-19

केस का प्रकार–(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b)

1.हेमेन्द्र महतो 2. सनातन महतो ....आवेदक/विक्रेता

बनाम

1. प्रमथ महतो 2. धीरेन्द्र नाथ महतो.................................क्रेता

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
18-06-2020		

विक्रेता :– 1. हेमेन्द्र महतो पिता स्व0 पूर्ण चन्द्र महतो उर्फ पूर्ण महतो 2. सनातन महतो पिता स्व0 सुरेन महतो, ग्राम–बाना, थाना–राजनगर जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड), जाति–कुर्मी।

क्रेता :– 1. प्रमथ महतो 2. धीरेन्द्र नाथ महतो दोनों के पिता स्व0 राजा महतो, ग्राम–गोहिरा, थाना–सरायकेला जिला–सरायकेला–खरसावाँ(झारखण्ड), जाति–कुर्मी।

विक्रेता द्वारा दिनांक 05.11.2018 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत क्रेता 1. प्रमथ महतो 2. धीरेन्द्र नाथ महतो दोनों के पिता स्व0 राजा महतो, ग्राम–गोहिरा, थाना–सरायकेला जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) को निम्नलिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति माँगी गयी है :–

:: <u>भूमि का विवरण</u> ::

मौजा	थाना /थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
बाना	राजनगर/52	48	198	30डि0
		47	197	37डि0
			202	05डि0
			कुल–	72डि0

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राजनगर से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, राजनगर का पत्रांक 26 दिनांक 10.01.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

1. प्रस्तावित भूमि बिक्रेता नं0–1 के पिता एवं बिक्रेता नं0–2 के दादाजी के नाम से खतियान में दर्ज है।
2. बिक्रेतागण अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते है।
3. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् बिक्रेता के पास रकवा–5.81 एकड़ भूमि शेष बचेगा।
4. बिक्रेता पारिवारिक खर्च एवं ऋण परिशोधन हेतु भूमि बिक्री करना चाहते है।
5. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला एवं जाति–'कुर्मी' है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते है।

लगातार.........................2

Scanned with CamScanner

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राजनगर ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 05.11.2018 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, राजनगर के अनुशंसा के आलोक में बिक्रेता 1. हेमेन्द्र महतो पिता स्व0 पूर्ण चन्द्र महतो उर्फ पूर्ण महतो 2. सनातन महतो पिता स्व0 सुरेन महतो, ग्राम–बाना, थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) को क्रेता 1. प्रमथ महतो 2. धीरेन्द्र नाथ महतो दोनों के पिता स्व0 राजा महतो, ग्राम–गोहिरा, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर ऊपर वर्णित रकवा–72डिसमिल भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

लेखापित,

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

18/06/2020

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner